विषय : एफ-13-8/2016/बी-ग्यारह

विषय :- रिट पिटीशन कं.-22071 / 15-अरूण द्विवेदी विरूद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य।

भूर्व पृष्ट से

पं. क.586/16, दिनांक 27/2/2016 सुश्री जाहन्वी पंडित, उप शासकीय अधिवक्ता, उप महाधिवक्ता, कार्यालय महाधिवक्ता, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 19/2/2016

कृपया विचाराधीन पत्र का अवलोकन करें। पत्र में उल्लेखित प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत प्रकरण में सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थायें, भोपाल को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाना उचित होगा।

2/ मान्य होने की दशा में आदेश का प्रारूप अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

05/8

29/16

का विभाग

अभार काल्या के के मान है। वह का प्राम्य दे दे

RAS

क्षेत्र होती

M

01/03

0

4

10-NO-55/2016/1014

छब्बीस-२ सचिवालय

विषय : एफ-13-8/2016/बी-ग्यारह

का विभाग

विषय :- रिट पिटीशन कं.-22071 / 15-अरूण द्विवेदी विरूद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य।

पूर्व पृष्ठ से:-

विषय- डब्ल्यू पी कमांक 22071/2015-अरूण व्दिवेदी विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य ।

कृपया अवलोकन हो । मा० उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, जबलपुर के समक्ष डब्ल्यू पी कमांक 22071/2015 अरूण व्दिवेदी विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन की दायर की गई है। कृपया प्रकरण में प्रत्यावर्तन प्रस्तुत करने एवं शासन का पक्ष रखने हेतु असि रिजस्ट्रार फर्म्स एवं सस्थाएँ भोपाल को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने एवं शासकीय अधिवक्ता को नियुक्त हेतु विधि विभाग को लिखा जाना प्रस्तावित है । याचिका एवं आदेश की स्वच्छ प्रतियां सलग्न हैं ।

डिप्टी रजिस्ट्रार

रजिस्ट्रार

01/03


रजिस्ट्रार,

उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन वाणिज्य,उद्योग और रोजगार विभाग

30/8/

A1/8/16

Shistant 18/72



एफ-13-8/2016/बी-ग्यारह

विषय:- रिट पिटीशन कं.-22071 / 15-अरूण द्विवेदी विरूद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य।

पूर्व पृष्ठ से:-

कृपया पूर्व पृष्ठ का अवलोकन करें। तद्नुसार प्रभारी अधिकारी नियुक्ती आर्देश की स्वच्छ प्रतियां हस्ताक्षारार्थे प्रस्तुत है।

732 04-3-16

स्मारण में रुतिसमा जाड़िय जारी किये

यास्त्रा oh (97

3119212

(MAIN \$13)16

७प स्रोवव

का विभाग

कि। के भार कियानी ลาน โดทอา

600/DS/18/12016 5/3/2016

JO. No-60/2016/9/-11

0

छब्बीस-२ सचिवालय

विषय:

एफ-13-8/2016/बी-ग्यारह

का विभाग

विषय :- रिट पिटीशन कं.-22071 / 15-अरूण द्विवेदी विरूद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य।

पूर्व पृष्ठ से:-

Dy. ADVOCATE GENERAL

Phone Office : 26

D. O. No.



MADHYA PRADESH MOST URGENT

OFFICE OF THE ADVOCATE GENERAL MADHYA PRADESH, JABALPUR

JABALPUR

कमांक 5.86/2016/B Pater

19/2/2016

To,

Principal Secretary, Govt. of M.P., Commerce & Industries Deptt., Vallabh Bhavan, Bhopal, (M.P.).

Registrar, Firms & Societies Deptt. Vindhyachal Bhavan, Bhopal.

Asstt. Registrar, Firms & Societies, M.P.Narmadapur, D-Block, Old Secretariat, Bhopal.

Sub: -W.P. No.22071/2015- Arun Dwivedi Vs. State of M.P. & ors.

Refer to this office D.O.dt. 02/11/2015.

The petitioner in the instant petition is challenging the order.

The matter was a transfer No.2.

The matter was listed before this Hon'ble Court on 19/2/16 wherein, the Court has directed to file reply within 4 weeks.

In view of the aforesaid, the O.I.C. is required to be appointed and he be instructed to contact with all relevant records, for preparation of reply. Failing which if any adverse order is passed, this office shall not be held responsible.

> (Janhavi Pandit) Dy. Government Advocate

Copy to:- Nodal Officer, Jabalpur

114/D5/AB12016

2 5 JEB 2016

0350 / VISINIE

SOPOT

-		

मध्यप्रदेश शासन वाणिज्य,उद्योग और रोजगार विभाग मंत्रालय,वल्लम भवन,भोपाल

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 1/3 /2016

क्रमाक एफ-13-8/2016/बी-ग्यारहः सिबिल प्रकिया सहिता 1908 (1908 का अधिनियम संख्या-5) के आदेश सत्ताईस के नियम-1 तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थायें, मोपाल को (प्रकारों के नाम) डब्ल्यूपी. नं. 22071/2015—अरूण द्विदेदी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य में मध्यप्रदेश राज्य के लिए तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिए तथा कार्य करने आवेदन करने और उप संजात होने के लिए नियुक्त करते हैं। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्यों के अतिरिक्त यह अपनी नियुक्त के तुरंत पश्चात् अन्य बातों के साथ ऐसी रीति में जिसके ब्योरे नीचे दिये गये हैं निम्निलेखित कार्य करेगा:-

- प्रभाश अधिकारी,मामले के तथ्यों के बारे में तुरंत ऐसी जांच करेगा जैसा कि आवश्यक हो और याचिका में उठाए गए समस्त बिन्दुओं का पैश अनुसार उत्तर देते छुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनसे कि मामले के संचालन हेतु महाधिवक्ता/शासकीय अमिभाषक को राहायता पहुंचने की संभावना है, रिपोर्ट हैयार करेगा। यदि किसी प्रक्रम पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था, तो उस विभाग की शय भी रिपोर्ट में विनिर्दिश्ट रूप से निर्दिष्ट की जाएगी।
- सभरत सुसंगत फाईले, दस्तावेज, नियम, अधिसूबनाए तथा आदेश एकत्रित करेगा।
- 3. वाद पत्र/याचिक। में उठाये गये समस्त बिन्दुओं पर पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनसे की शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुंचने की संभावना है, कि एक रिपोर्ट तैयार करें।
- उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से सम्पर्क करें।
- शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन / उत्तर तैयार करवायें।
- 6 प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज पत्र भेजेगा:--
 - (क) वाद पत्र की एक प्रति के साथ रारकार की एक रिपोर्ट।
 - (ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।
 - (ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची, जिन्हें साक्ष्य फाईल करना प्रस्तावित है और जिनकी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है।
 - (घ) मामले के विश्वदीकरण के लिए आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियों इसमें वाद की सुगवाई की जारिख भी वर्णित होनी बाहिए।
- 7 मागले की तैयारी और संचालन करने में शहराकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले उसके प्रकम और प्रगति में नियत किए गए कर्तव्यों से स्वयं को सदैव ही अवगत रखना।
- 8. जब भी कोई आदेश / निर्णय विशिष्टतया ग.प्र. राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता तब विधि विभाग को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।
- अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश / निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिए इस विभाग को भेजेगा।
- 10 यह देखना कि आवंदन करने में तथा प्रभाणित प्रति प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने सब प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो।

जैसे ही उसे स्थानान्तरण आदेश प्राप्त होता है। वह अर्धशासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल 11. जानकारी देगा।वह वर्तमान पद का भार सौप देने के पश्चात् भी तब तक अधिकारी बना रहेगा जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाए।

प्रभारी अधिकारी, मामला तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग 12. देगा तथा इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज

अप्रकटित / छपी नहीं रह जाए।

प्रभारी अधिकारी, का यदि लोक अभियोजनक मुकर्रर है तो वह जैसे ही वाद का विनिश्चय 13. होता है परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को करेगा। निर्णय की एक प्रति भी प्राप्त की जाए और रिपोर्ट के साथ भेजी जाए।

प्रभारी अधिकारी, या यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह इस बात के लिए 14. होगा कि उन मामलों में जहां किसी वाद के प्रकरण में पारित किये गये किसी अन्तरिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है। समय पर कार्यवाही की गई है। अतः वह उस आदेश की प्रति जैसे ही पारित किया जाय विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ सरकार(प्रशासकीय विभाग) को अग्रेषित करे।

यदि प्रतिवादियों की सूची में मुख्य सचिव का नाम अंकित है तो प्रभारी अधिकारी प्रतिवादियों 15.

की सची से मख्य सचिव का नाम विलोपित करने की कार्यवाही करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(अनिल भारतीय) उप सचिव मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग

भोपाल, दिनांक 4 /2/2016

पुष्ठा. कमांक एफ-13-8/16/बी-ग्यारह प्रतिलिपि:-

महाधिक्ता मध्यप्रदेश महाधिवक्ता / उप महाधिवक्ता / अतिरिक्त जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर।

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल। 2.

रजिस्टार, फर्म्स एवं संस्थायें, मध्यप्रदेश, भोपाल।

सुश्री जाहन्वी पंडित, उप शासकीय अधिवक्ता, महाधिवक्ता कार्यालय म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर की ओर उनके पत्र दिनांक 19/2/2016 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक

कार्यवाही हेत् प्रेषित।

सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाये, भोपाल (प्रभारी अधिकारी) की ओर उप शासकीय आधिवक्ता के पत्र दिनांक 19/2/2016 की छायाप्रति प्रेषित करने के साथ ही शासकीय अधिवक्ता से सम्पर्क करने और उपस्थित प्रमाण-पत्र प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक भेंट (विजिट) पर शासकीय अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिए सलाह करने और मामले में अपनी प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग के साथ विधि विभाग को सदैव ही भेजनी चाहिए। वाद पत्र की एक प्रति इस विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जाए। मामले की सुनवाई दिनांक को नियत की गई है।

उप सचिव मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग